न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 144 / 2018

1. श्री महेश पुत्र महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी सांपला तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. अलका पुत्री महावीर।
3. खूशबू पुत्री महावीर।
   समस्त नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता एवं सरंक्षिका श्रीमती कौशल्या पत्नी महावीर जाति ब्राहम्ण, निवासी सांपला, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नन्दा उर्फ नंदराम पुत्र कजोड़।
2. श्री रमेश पुत्र नन्दा उर्फ नंदराम।
   समस्त जातिगण ब्राहम्ण, निवासीगण सांपला तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा सरवाड़ जिला अजमरे।
4. उप पंजीयक, पंजीयक कार्यालय सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री शैलेन्द्र जैन, प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

दिनांकः— 31.01.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादवर्णित आराजी मौजा ग्राम सांपला तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
367—328	2623 / 1299	03—05—00	गै.मु. / बा.3
361—319	1300	01—12—00	बा.3
362—326	765	15—00—00	बं.2 1 / 2 हिस्सा
	848	15—00—00	बं.2 1 / 2 हिस्सा

यह कि वादवर्णित उक्त आराजीयात अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्तमान में खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के पौत्र है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत दादा की संपति में पौत्रों का जन्म से हक अधिकार है तथा वादवर्णित उक्त आराजीयात मेंभी प्रार्थीगण का पुश्तैनी एवं पैतृक हक अधिकार चला आ रहा है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 ने वादवर्णित उक्त आराजीयात का संयुक्त हिन्दू परिवार में अपने जीवनकाल में ही अपने दोनों पुत्रों प्रार्थीगण के पिता महावीर व अप्रार्थी सं. 2 के हक में विभाजन कर दिया गया तथा इसी अनुरूप प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात के 1 / 2 हिस्से पर काबिज काश्त होकर कृषि उपज पैदा करते आ रहे है। अप्रार्थी सं. 2 बदनीयतीपूर्वक नाजायज अनाधिकृत तरीके से कानून व नियमों के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 को बहला फुसलाकर प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात करने की नीयत से उक्त वर्णित आराजीयात के संपूर्ण हिस्से को अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। इस बाबत अप्रार्थीगण ने दिनांक 13.05.18 को एलानियां धमकी दी कि हम इस जमीन को अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज करवाकर तुम्हें बेदखल करेगें। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। यह कि वादवर्णित आराजीयात पुश्तैनी व पैतृक

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

भूमि है इसलिए प्रार्थीगण को सहखातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सांपला संवत् 2069—2072
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सांपला संवत् 2069—2072
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सांपला संवत् 2069—2072
- प्रतिलिपी आधार कार्ड महावीर।
- प्रतिलिपी राशन कार्ड महावीर।

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, बहस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थी द्वारा विवादिज आराजी के पुश्तैनी होने बाबत् तथ्य प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किए गए है परंतु आराजी के पुश्तैनी होने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

चूंकि प्रार्थी अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् सिद्ध करने में असफल रहा है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.18 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: